HIRD

पंचायती राज समाचार

मई 2012

PANCHAYATI RAJ NEWSLETTER

■ ग्रामीण आवास कार्यक्रम - इंदिरा आवास योजना ■ गांव गोमला: विकास का एक सफल प्रयास ■ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਔਰਤ

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी

Haryana Institute of Rural Development, Nilokheri

prharyana007@gmail.com

ग्रामीण आवास कार्यक्रम - इंदिरा आवास योजना

■ डा. सूरत सिंह

के आवास मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह समाज में किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत का सूचक होता है। भारत में विभाजन के तत्काल बाद केंद्रीय शरणार्थी पुर्नवास मंत्रालय ने शरणार्थियों के पुर्नवास के लिए देश में पहली बार आवास कार्यक्रम आरंभ किया और यह 1960 उसके बाद 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के एक अंग के रूप में एक ग्राम आवास योजना आरंभ की गई। लेकिन, इसके देश में वांछित परिणाम सामने नहीं आए। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी एक अन्य योजना चलाई गई, जिसे आवास स्थल एवं निर्माण सहायता के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के अनुसार इसे 1-4-1947 को राज्य के सेक्टर को हस्तांतरित कर दिया गया।

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) का आरंभ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी, 1980) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी, 1983) के साथ जोड़कर देखा जाता है क्योंकि उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनता के रोजगार सृजन के लिए निर्माण (कंस्ट्रक्शन) प्रमुख गतिविविध थी। लेकिन, आवास निर्माण योजनाओं के उदेश्य की दृष्टि से देश के विभिन्न राज्यों में समान नीति का अभाव था।

वर्ष 1985 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत निधि (फंड) का एक भाग अनुसूचित जाति/जनजाति और मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के लिए निर्धारित किया गया था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई और उसके बाद जब अप्रैल, 1989 में आरएलईजीपी को जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) के रूप में पुर्नगठित किया गया तो यह जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना बन गई। जवाहर रोजगार योजना को आवंटित राशि में से छह प्रतिशत राशि इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए आवंटित की गई।

1973-74 से इंदिरा आवास योजना के कवरेज का दायरा बढाकर उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल गैर-एससी/एसटी परिवारों को शामिल कर लिया गया और निधियों का आवंटन जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटित कुल संसाधनों में छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

इसे एक जनवरी, 1996 से जवाहर रोजगार योजना से असंबद्ध कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एससी/एसटी, मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों, अल्पसंख्यक समुदायों के परिवारों और ग्रामीण परिवारों की बीपीएल श्रेणी के एससी/एसटी के अन्य सदस्यों के मकानों के निमार्ण/अद्यतन बनाने में उन्हें एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

यह योजना केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है और इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच साझा लागत के आधार पर 75:25 के अनुपात में निधि प्रदान की जाती है। उत्तरपूर्वी राज्यों एवं सिक्किम में यह अनुपात 90:10 है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के लिए लक्षित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवार, एससी/एसटी परिवार, मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के परिवार, बीपीएल श्रेणी के अल्पसंख्यकों के परिवार एवं गैर-जाति/जनजाति बीपीएल परिवार, विधवाएं, कार्यवाही में मारे गए रक्षा कर्मचारियों/अर्द्ध-सैनिक बलों के वे निकटस्थ रिश्तेदार, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं (इसमें लाभार्थी की गाय को कोई मापदंड लागू नहीं होगा), पूर्व सैनिक और अन्य शर्तें पूरी करने वाले अर्द्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत सदस्य आते हैं।

इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नलिखित परिवार आते हैं:

- एससी/एसटी,
- मुक्त हुए बंधुआ मजदूर,
- बीपीएल श्रेणी में अल्पसंख्यक,
- गैर-एससी/एसटी बीपीएल परिवार,
- विधवाएं और कार्यवाही में मारे गए रक्षा

कर्मचारियों/अर्द्ध-सैनिक बलों के वे निकटस्थ रिश्तेदार, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, और

- पूर्व सैनिक और अन्य शर्तें पूरी करने वाले अर्द्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत सदस्य जिले में निधियों के वितरण का स्वरूप

जिले में उपलब्ध संसाधनों के वितरण का स्वरूप निम्नलिखित के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है:

श्रेणी	संसाधनों के अनुपात का निर्धारण
एससी/एसटी बीपीएल परिवार	60 प्रतिशत
गैर-एससी/एसटी बीपीएल ग्रामीण परिवार	40 प्रतिशत
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के खंड 2 (सी) में बीपीएल अल्पसंख्यक	मंत्रालय (एमओरआरडी) के निर्देशों के अनुसार
शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति	उपरोक्त बताई गई श्रेणियों का 3 प्रतिशत

टिप्पणी: यदि किसी जिले में कोई विशेष श्रेणी का पूरा उपयोग कर लिया गया है या उपलब्ध नहीं है तो दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार आवंटन का उपयोग अन्य श्रेणियों के लिए किया जा सकता है।

जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के जरिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है और स्वयं लाभार्थी मकानों का निर्माण करते हैं। किसी वित्त वर्ष के दौरान किए गए आवंटन और निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर जिला परिषद/डीआरडीए ग्राम पंचायत-वार निर्माण/अद्यतन किए जाने वाले मकानों की संख्या निर्धारित करती है और इस बारे में संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना देती है।

ग्राम पंचायत में पहचान किए गए बीपीएल परिवारों की उपलब्ध सूची से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने के उदेश्य से संभावित लाभार्थियों की एक स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है। इस सूची के आधार पर ग्राम पंचायत लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया पूरी करती है और इसके बाद ग्राम सभा उसे स्वीकृत करती है (रैंक के क्रम में गैर-एससी/एसटी और एससी/एसटी)। लाभार्थियों के बारे में ग्राम सभा का चयन अंतिम माना जाता है। किसी भी उच्च निकाय की स्वीकृति जरूरी नहीं होती है। यह सूची जिला परिषद/डीआरडीए और बीडीपीओ को उनकी सूचना के लिए भेजी जाती है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार इंदिरा आवास योजना के संभावित लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची गांव में एक उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए और संबंधित डीआरडीए द्वारा वेबसाईट पर दी जाए। लाभार्थियों की प्राथमिकता इस प्रकार बनाई जाए:

- मुक्त हुए बंधुआ मजदूर
- एससी/एसटी परिवार
- एससी/एसटी परिवार, जो अत्याचारों के शिकार हैं
- एससी/एसटी परिवार, जिनकी मुखिया विधवाएं और अविवाहित महिलाएं हैं
- बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं, जैसे-भूकंप, चक्रवात और मानव-निर्मित आपदाओं, जैसे-दंगे से प्रभावित एससी/एसटी के परिवार
- अन्य एससी/एसटी परिवार
- कार्यवाही में मारे गए रक्षा सेवाओं/अर्द्ध-सैनिक बलों के कर्मचारियों के परिवार/विधवाएं,
- गैर-एससी/एसटी बीपीएल परिवार,
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति,

- अर्द्ध-सैनिक बलों के पूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत सदस्य, और
- वकास परियोजनाओं की वजह से विस्थापित व्यक्ति खानाबदोश/अर्द्ध-खानाबदोश और डिनोटिफाईड जनजाति, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम सदस्यों वाले परिवार।

लाभार्थियों का चयन इस शर्त पर निर्भर करेगा कि उपरोक्त सभी श्रेणियों के परिवार बीपीएल के अपवाद को छोड़कर हैं।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति मकान के निर्माण (सैनिटरी लैट्रीन एवं धुआंरहित चूल्हा) के लिए मैदानी क्षेत्रों में 45000 रूपये और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 48000 रूपये का वित्तीय अनुदान दिया जाता है। न रहने लायक कच्चे मकान को अद्यतन बनाने के मामले में उपरोक्त दोनों श्रेणियों में 15000 रूपये दिए जाते हैं।

किसी भी मकान के निर्माण के लिए वित्तीय अनुदान पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए

इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को डिफरेन्शियल रेट आफ इंटरेस्ट यानी विभेदक ब्याज दर (4 प्रतिशत) पर प्रति ऋण सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक हैं, उनके लिए इस बारे में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार/डीआरडीए को सौंपी गई है। कुल निधियों की 20 प्रतिशत सब्सिडी उन लाभार्थियों के लिए स्वीकृत की जाती है, (1) जिनकी आय प्रतिवर्ष 32000 रूपये है, (2) मकान के निर्माण के लिए ऋण सीमा 50000 रूपए तक और सब्सिडी सीमा 12500 रूपये तक है।

जिला परिषद/डीआरडीए वह एजेंसी है, जो जिले में इंदिरा आवास योजना से संबंधित मामलों की देखरेख करती है। प्रतिवर्ष जिला परिषद/डीआरडीए को निधियां (केन्द्रिय सहायता) दो किश्तो में जारी की जाती है। केंद्र सरकार से निधियां प्राप्त होने पर राज्य सरकार एक माह बाद अपने हिस्से की निधियां जारी करती है। यह ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने लेखे दर्ज करती है। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक या पोस्ट आफिस में एक अलग बचत खाते में यह निधि रखी जाती है।

कार्य की प्रगति के अनुसार भिन्न-भिन्न चरणों में लाभार्थी को भुगतान किया जाता है और संपूर्ण राशि एक एकमुश्त भुगतान नहीं किया जाता है। ये राशियां सीधे लभार्थी के बैंक या पोस्ट आफिस के खाते में हस्तांतरित की जाती हैं।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत स्वयं लाभार्थी द्वारा मकान का निर्माण किया जाना चाहिए और यह कार्य किसी भी बाहरी एजेंसी, जैसे-ठेकेदार/सरकारी विभाग आदि द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत अपेक्षा की गई है कि क्रियान्वयन एजेंसी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निमार्ण/अद्यतन बनाने की पूरी सूची तैयार करे। इस सूची में मकानों के निमार्ण की शुरूआत की तारीख एवं निमार्ण पूरा होने की तारीख, उस गांव और खंड का नाम, जिसमें मकान स्थित है, लाभार्थियों के पेशे एवं श्रेणियां तथा अन्य संबंधित सूचनाएं दर्ज की जाएं। राज्य, जिला और उप-जिला स्तर के अधिकारी निरीक्षण विधि द्वारा पर्यवेक्षण करते हैं और प्रत्येक अगले महीने की 10 तारीख से पहले एक मासिक रिपोर्ट भेजी जाती है।

गांव, खंड और जिला स्तर पर अधिक पारदर्शिता लाने के लिए जनता को निम्नलिखित सूचना अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए:

- गांव में बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीय कर रहे) परिवारों की सूची,
- इंदिरा आवास योजना की एससी/एसटी और गैर-एससी/एसटी दोनों के बीपीएल परिवारों की स्थायी प्रतीक्षा सूची,
- क्षेत्र/इलाके के लिए आपदा-प्रतिरोधी निर्माण संबंधी उपयुक्त विशेषताओं की सूची,
- पूर्ववर्ती एवं वर्तमान वर्ष के दौरान पहचान किए लाभार्थियों सूची, जिसमें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी शामिल हैं,
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गांव को किया गया आवंटन,
- लागत, राशियों के स्त्रोत और क्रियान्वयन एजेंसी के साथ खंड स्तर पर निर्मित किए जाने वाले मकानों का विवरण,
- इस योजना के लिए खंड-वार और गांव-वार राशि का वितरण,
- निधियों का आवंटन/उपलब्धता और इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रगति,
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी/गांव/खंड के चयन के लिए नियम एवं मापदंड, और
- अन्य संबंधित सूचना

लेखक हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं

गांव गोमलाः विकास का एक सफल प्रयास

■ डा. सूरत सिंह

भा 20 अप्रैल, 2010 को हरियाणा प्रदेश की मुख्य सचिव श्रीमति उर्वशी गुलाटी ने गोमला गांव के विकास कार्यों से प्रभावित होकर गांव की लगभग समस्त गलियों का पैदल घुमकर अवलोकन किया। उनके साथ विकास एवं पंचायत विभाग के वित्तायुक्त भी थे। दोनों ने गांव के विकास कार्यों को लीक से हटके एवं सर्वश्रेष्ठ बताया तथा मंच से अन्य पंचायतों को गोमला से सीख लेने की प्रेरणा दी। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी ने इससे प्रेरित होकर इस गांव के विकास की यात्रा और विभिन्न विकास के आयामों को सभी पंचायतों तक पहुंचाने के उदेश्य से निर्णय लिया की एचआईआरडी पंचायती राज न्यूजलैटर में इस सफल प्रयास को प्रकाशित किया जाये। संस्थान के निदेशक स्वयं भी इस गांव में गये और वहां के लोगों से सरपंच और पंचों से बातचीत की तथा कराये गए सभी कार्यों को देखा। पूर्व सरपंच श्री राधेश्याम और गांव के दूसरे लोगों से सम्बन्धित आंकडे तथा विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवाई जिसके आधार पर यह लेख तैयार किया गया है।

दिल्ली से नारनौल सड़क मार्ग पर कुण्ड नामक स्थान से महेन्द्रगढ़ सम्पर्क मार्ग पर कुण्ड से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित, जिला के पूर्वी छोर पर बसा गांव गोमला महेन्द्रगढ़ जिले का पहला गांव है। लगभग 2500 की आबादी वाले इस गांव में ब्राहमण, राजपूत, अहीर (यादव), खाती (जांगड़ा), कुम्हार, चमार एवं धानक जाति के लोग रहते हैं। गांव अहीर (बाहुल्य) है।

1961 से पहले तक चार गांव गोमला, भोजावास मोडी तथा गोमली की एक पंचायत हुआ करती थी। 1961 में गोमला गांव की अलग पंचायत बनी तथा गोमला मोडी एवं गोमली की अलग। गांव की पहली गठित पंचायत उल्लेखनीय रही। जब पूरे हरियाणा भर में शायद कोई भी महिला, पंच

तक भी नहीं चुनी थी (उस समय गांव गोमला के लोगों ने एक महिला को निर्विरोध गांव की सरपंच चुना) यादव बाहुल्य गांव में अल्पसंख्यक खाती जाति की महिला चन्द्रावली देवी को निर्विरोध सरपंच चुनकर ग्रामीणों ने मिसाल कायम की। इस प्रकार गांव के लोगों ने पहले ही चुनाव में एक मिसाल कायम की। पहले ही चुनाव में महिला को सरपंच के रूप में चुना (वह भी यादव बाहुल्य गांव में एक अल्पसंख्यक खाती जाति की महिला को सरपंच बनाया)

इसके बाद 1968 तक गांव की पंचायत में स्थिरता नहीं आ पाई। किन्तु 1968 के चुनाव में श्री दयाराम को निर्विरोध सरपंच चुना गया। 1972 के चुनावों में चुनावी प्रक्रिया में फेरबदल हुआ जिसक तहत पंचों में से सरपंच चुना गया। पंचों ने पुन: दयाराम को ही सरपंच चुन लिया। 1977 के आम चुनावों में तीसरी बार दयाराम को गांव ने फिर सरपंच चुना इस प्रकार तीन योजना दयाराम को सरपंच चुना गया। दयाराम करीब 12 वर्षों तक गांव का सरपंच रहा। दिसम्बर 1979 से जून 1983 तक फिर अस्थिरता रही और इस बीच में दो कार्यवाहक सरपंचों ने कार्य किया।

फिर जुलाई, 1983 के आम चुनावों में गुगन राम को निर्विरोध जिसने जुलाई 1988 तक अपना पूरा कार्यकाल सम्पन्न किया। जुलाई 1988 के आम चुनाव में रामसिंह को सरपंच बनाया। पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन हुआ सरकार ने पंचायतों का कार्यकाल 3 साल कर दिया। जनवरी 1992 में रामसिंह को पुन: चुना गया यह योजना भी 3 साल की ही रही। इस प्रकार रामसिंह जुलाई, 1988 से दिसम्बर, 1994 तक 6 साल 6 महीने सरपंच रहा।

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद 1994 में हरियाणा में भी इसी के अनुसार पंचायती राज अधिनियम का निर्माण हुआ जिसके अनुरूप चुनाव हुए तथा गोमला की पंचायत का सरपंच पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ।

जनवरी 1995 को यादराम (एस.सी.) को सरपंच बनाया गया जो जनवरी 2000 तक सरपंच रहा। इसके पश्चात अगला चुनाव महिला (सामान्य) के लिए सरपंच पद आरक्षित हुआ। जिसमें अल्पसंख्यक खाती जाति की महिला अंगूरी देवी को सरपंच चुना गया जो मार्च 2005 तक सरपंच रही। अप्रैल 2005 को पूर्व सरपंच दयाराम के पुत्र राधेश्याम को सरपंच बनाया गया जो जून 2010 तक 5 साल 2 महीने सरपंच रहे। जून 2010 में हुए आम चुनावों में सरपंच पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हो गया जिसमें राधेश्याम की पंचायत में पंच रही शान्ति देवी को सरपंच चुल लिया गया।

1961 से पहले तक चार गांव गोमला, भोजावास मोडी तथा गोमली की एक पंचायत हुआ करती थी। 1961 में गोमला गांव की अलग पंचायत बनी तथा गोमला मोडी एवं गोमली की अलग। गांव की पहली गठित पंचायत उल्लेखनीय रही।

सरपंचों द्वारा किये गये विकास कार्य

काम के नाम पर चन्द्रावली देवी ने उल्लेखनीय पहल की जिसके तहत गांव में प्राथमिक स्कूल का कार्य शुरू करवाया जो सम्पन्न दयाराम के कार्यकाल में हुआ। दयाराम के कार्यकाल में गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को पलाट दिये। इसके अतिरिक्त 1988 तक काम के बदले अनाज योजना के तहत पत्थरों के कुछ खुरे तथा धर्मशाला की चारदिवारी बनवाई। पेयजल हेतु दो कुओं का निमार्ण हुआ तथा प्राथमिक स्कूल भवन पूरा हुआ। 1977 तक गांव के सभी मुक्कदमें गांव में निपटते रहे। थाने में कोई मामला नहीं गया इसके बाद एक तरह से गांव के वातावरण को ग्रहण सा लग गया। गांव दो गुटों में बंट गया। एक गुट दयाराम तथा दूसरा उसका विरोधी गुट जिसका नेतृत्व समय-समय पर बदलता रहा। इसके अतिरिक्त चन्द्रावली देवी से गुगन राम तक सरपंच एवं पंचायतें केवल चौधराहट के कार्यों तक ही सीमित रही। रामसिंह के कार्यकाल में मिडल स्कूल, पानी की 5 टंकीयां, एक सबमर्सीबल पम्प एवं पंचायत घर का निर्माण हुआ लेकिन इस कार्यकाल में गांव में गुटबाजी चरम पर रही। गांव के लोग थाने के चक्कर ही लगाते रहते थे।

2005 से गोमला के विकास का दौर शुरू हुआ। एक नौजवान राधेश्याम ने जब सरपंच पद का कार्यभार संभाला उस वक्त अत्यन्त पिछड़े एवं गुमनाम से गांव गोमला की लगभग सभी गलियां कीचड से भरी पड़ी थी। चाहे अनुसूचित जाति का मोहगा हो, चाहे धानक बस्ती हो, चाहे खातियों का मौहगा हो, चाहे अहीरान बस्ती सभी गलियों में कीचड़ एवं अवैध कब्जों की भरमार थी तथा गलियों व फिरनी में जगह-जगह कुरड़ियां डाली हुई थीं। गांव में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की न केवल बिक्री होती थी, बल्कि शराब माफिया यहां अवैध शराब बनाते थे। शिक्षा का स्तर बेहद गिरा हुआ था। अवैध शराब माफियाओं ने गांव के किशोरों एवं नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर अवैध शराब बिक्री के धन्धों में संलिप्त कर लिया था। राधेश्याम ने अपनी सूझबूझ एवं कार्यकुशलता से अवैध कब्जे हटवाये। सबसे पहले स्वयं अपने और अपने पक्ष के लोगों से अवैध कब्जे हटवाये जिससे प्रभावित हो दूसरों ने बिना किसी झगड़े-विवाद व ना-नुकर के कब्जे छोड़ दिए, जिन्होंने कुछ आनाकानी की उनसे कूटनीति से छुडवा लिए, जिससे गलियां व फिरनी खुली और चौड़ी हो गई। खातियों एवं अनुसूचित जाति के मोहगों में दो प्रमुख जगह पंचायती भूमि पर कूड़ा-कर्कट डाला जा रहा था तथा अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे साफ कर व अवैध कब्जे हटवाकर वहां दोनों जगह सुन्दर पार्क बनाकर न केवल गांव का वातावरण सुन्दर

बनाया बल्कि अन्य गांवों के लिए प्रेरणादायी मिसाल कायम की, जिसके बाद कई गांवों में पार्क-निर्माण हुए।

गांव की सभी गलियों व नालियों का निर्माण करवाया तथा सुव्यवस्थित ढंग से गंदे पानी की निकासी करवाई व सोखता-गढ़ढे बनवाए, जिसके परिणामस्वरूप गलियों का कीचड़ समाप्त हो गया। गांव में कोई भी आदमी खुले में पेशाब करता नहीं मिले इसके लिए जगह-जगह पर व्यवस्थित पेशाब घर बनवाए। गलियों के कूड़ा-कर्कट की सुव्यवस्था के लिए कूड़ा दान बनाये।

हर घर में पेयजल हेतु नलकों की व्यवस्था की वर्तमान में पेयजल हेतु गांव में 6 सबमर्सीबल पम्प लगवाये। भारतीय फाउण्डेशन एवं सरकार के सहयोग से आधुनिक शिक्षा प्रणाली का स्कूल बनवाया। आज गांव का पन्द्रह साल से कम उम्र का कोई बच्चा घर में नहीं स्कूल में मिलेगा। शैक्षणिक स्तर तेजी से बढ़ा। मार्गदर्शन के अभाव में पथभ्रष्ट बेरोजगार नवयुवकों में स्वावलम्बी बनाने की भावना पैदा की जिसके फलस्वरूप नवयुवकों ने अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रियता कर बेरोजगारी से निजात पायी।

किसानों को प्रोत्साहित कर कृषि में नये-नये प्रयोग कर अधिक आमदनी वाली फसलें उगाकर आय में वृद्धि की। पिछले तीन सालों से लड़कियों की जन्म दर तेजी से बढ़ी है। अब लड़कों के मुकाबले गांव में लडकियों की जन्म दर अधिक है।

आस-पास के गांवों के लिंक रास्ते ठीक करवाये एवं चौड़े करवाये आज गांव की यह स्थिति है कि गलियां एकदम साफ-सुथरी हैं एवं कीचड़ या गड्डे नहीं हैं तथा गांव की सभी गलियां पक्की हैं। गांव की गलियों में कीचड न फैले इसके लिए नालियों के खराब पानी को रिचार्ज करने हेतु सोखता गडढ़ों एवं रिचार्ज-बोर की व्यवस्था की। साफ-सफाई के मामले एवं गांव में बेहतर सुविधाओं के चलते 2008-2009 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया। थर्ड साउथ ऐशियन कॉन्फ्रेन्स नई दिल्ली में

ग्राम सरपंच ने जिला महेन्द्रगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। साफ-सफाई के मामले में स्टडी केस के रूप में देश भर से नामी स्वयं-सेवी संस्थाओं एवं रिसर्च स्टूडेन्ट्स ने गांव गोमला को चुना तथा गांव में दौरा किया। 2007 से 2010 तक गांव की स्वच्छता के बारे एक घोषणा मीडिया के माध्यम से की गई कि गांव की समस्त गलियों में से कोई एक बाल्टी कीचड़ ले आए तो उसे एक हजार रूपये ईनाम के तौर पर दिए जायेंगे। यानी इस दौरान गांव में इतनी साफ-सफाई रही की गांव की सारी गलियों में मिलाकर एक बाल्टी कीचड भी नहीं था, जो अब भी बरकरार है। पिछले सालों से स्वच्छता के मामले में अखबारों एवं दूरदर्शन के द्वारा चर्चित गांव गोमला को 2010 में स्वच्छता बरकरार रखने के लिए सरकार द्वारा 1.50 लाख रूपये की राशि से पुरस्कृत किया। गांव में ही शहरी वातावरण मिलने पर पलायन कर चुके कुछ परिवार वापिस गांव में आकर रहने लगे हैं। कीचड़, गन्दगी एवं बदबूदार वातावरण से परिपूर्ण गांव को स्वच्छ सुन्दर एवं सुगन्धित फूलों से भरे-पूरे वातावरण तक पहुंचाने के सफर के दौरान राधेश्याम को कई राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत दिक्कतों से गुजरना पड़ा। लेकिन उसके मन में गांव को विकास की राह पर लाने का जुनून था।

राधेश्याम के शब्दों में - मेरे मन में गांव के विकास का एक जुनून था बस और उसी जुनून ने गांव को सुन्दर बना दिया। मुझे चाहे कितने भी ताने, नुकसान और परेशानियां मिली मगर मैं खुश हूं, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। लेकिन मेरे सपनों के गांव की तस्वीर अभी भी मूर्तरूप नहीं ले पाई है। मैं चाहता हूं कि मेरा गांव ग्रामीण-विकास का प्रतीक बने। इसके लिए सरकारी सहायता की जरूरत है।

लेखक हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं

ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਔਰਤ

ਸਵਾਤੀ ਸੇਠੀ

ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ-ਪੈਂਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ

ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੂਮੈੱਨ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2010-11 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2011-12 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ।

ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸਾਰਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ

ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਸਾਲ	ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)	ਖ਼ਰਚਾ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)	ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
2006-07	36	23.85	795
2007-08	55	37.17	1,236
2008-09	55	41.16	1,372
2009-10	55	38.46	1,497
2010-11	45	35.82	1,189
2011-12			

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਏ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ, 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ 2004 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ, ਪੁਲਾਓ, ਦਲੀਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਿਚੜੀ ਅਤੇ ਬੱਕਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 450 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 36 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 2007 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2008 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਨੂੰ 620 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 12,7084 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2011-12 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ 31,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2010-11 ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। •

दुनिया में प्रसन्न रहने का एक ही उपाए है और वह यह है कि अपनी जरूरतें कम करो।

महात्मर गरंणरह

कला तथा मुद्रण व्यवस्था : संवाद सोसाइटी (सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी)
डा. सूरत सिंह द्वारा प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए Aravali Printers & Publishers (P.) Ltd. W-30, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 से मुद्रित
पंचायतीराज न्यूजलैटर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेडी (जिला करनाल) के लिए संस्थान निदेशक
डिजाइन : सुरेखा मिड्ढा, डिजिटल सपोर्ट: विकास डांगी